सं. ई-12012/01/2022-हिन्दी-डीजीएचएस / 144

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(राजभाषा अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक :.02./04/2025

विषय: कैलेंडर वर्ष 2025 में अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए हिन्दी शब्द संसाधन/ हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) तथा हिन्दी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 16/अकतूबर,2024 के पत्र सं. पत्र सं. 19013/1/2024/केहिप्रसं/837-1536 (प्रतिलिपि संलग्न) तथा पत्र सं 19011/7/2021- के. हि. प्र. स. /ग / भा/ प्रशि /76 से 375(प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। इन पत्रों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में **मई 2025 से नवंबर 2025 तक** तथा **जून 2025 से दिसम्बर, 2025 तक** हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी सूचना भेजी गई है।

2. महानिदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के संलग्न पत्र का पूर्ण रूप से अवलोकन करें तथा उपर्युक्त उल्लेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र कार्मिकों का नामांकन विहित प्रपत्र में अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से राजभाषा अनुभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक नामांकन भिजवाएँ ।

संलग्नक: यथोपरि

02/4/25

(राजीव कुमार सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समस्त अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठके अनुभाग अधिकारी/प्रभारी ।

प्रतिलिपि:

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रधान स्टाफ अधिकारी को सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव (जीएम) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. निदेशक (एकेएस), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

स०-19011/7/2021- के.हि.प्र.स./ग.भा.प्रशि०/ 76 से 375

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 14/02/2025

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय /विभाग, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/अभिकरण/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थान में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थानों एवं उप केंद्रो द्वारा मंत्रालयों/विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / लोक उद्यमों / निगमों / स्वायत्त संस्थानों, संगठनों, अभिकरणों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पारंगत पाठ्यक्रमों के (अल्पकालिक) गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

2. मूलत: ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि (2025) तक, प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 22.4.2015 के का० ज्ञापन स० 12012/3/2015-रा०भा० (नीति) में संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /सांविधिक /स्वायत्त निकायों/ उद्यमों/ अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में सरकारी कामकाज करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू किया गया है ।

सभी मंत्रालयों / विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-।) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित करना सुनिश्चित करें।

2

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 फैक्स/Fax : 011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार करें।

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की तिथि	पात्रता
1	प्रबोध	25 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी. मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी / कर्मचारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी,सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मिडिल / माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह उन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है,जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
4.	पारंगत	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक, पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

विशेष :- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कार्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार, अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से "ग" में आए कार्मिकों को भी नामित करने . . कष्ट करें।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र :-

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक -।। में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व ई-मेल द्वारा अवश्य भिजवा दी जाए।
- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन की पुष्टि का प संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है।
- **प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक -IV में दी गई है।**
- **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान के प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर क्षेत्रीय छुट्टियों के अनुसार निकाला जाएगा। अनुलग्नक -III**
- **परीक्षा**
- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं।
- परीक्षा फॉर्म प्रशिक्षार्थी से पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों को परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा करना होगा

नोटः- पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थी पाठ्य-पुस्तकें राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in में जा कर प्रिंट सकते हैं।

<u>वित्तीय प्रोत्साहन</u>

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकारियों /कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का भुगतान, प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्र.सं.		प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु०1600/-	रु० 1800/-	रु० 2400/-	रु० 10,000
2.	60% या इससे अधिक, परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 800/-	रु० 1200/-	रु० 1600/-	रु० 7,000
3.	55% या इससे अधिक, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 400/-	रु० 600/-	रु० 800/-	रु० 4,000

<u>विशेष</u>

- सभी मंत्रालयों / विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों, इकाइयों / शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में (2025) प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वंछित जानकारी के लिए संबंधित सहायक निदेशक के मोबाइल नं.9289784254, 9582854331, 9998983445 एवं ई-मेल <u>chti1215@nic.in</u>, <u>chti1153@nic.in</u> पर संपर्क करें।
- **उद्योग भवन केंद्र पर सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं। इसलिए नामांकन प्राप्त होने पर प्रशिक्षार्थियों को <u>पहले आओ पहले पाओ</u> के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।**
- **<u>नामांकन की पुष्टि होने पर ही अपने नामित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।</u>**

भवदीय,

(ले0 कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन सं. 19011/7/2025-कें.हिं.प्र.सं./ग.भा.प्रशि./ 76-375 दिनांक: 14/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन,चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मु०), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5. सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. संयुक्त/उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, सेक्टर-1 नई दिल्ली- 110066
8. उप निदेशक/सहायक निदेशक (भाषा) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली-110003
9. सहायक निदेशक(टं/आशु०) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,7वां तल पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

(ले०कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

अनुलग्नक -I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि :-

	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
सत्र प्रथम	प्रबोध	25	03.02.2025 से 10.03.2025 तक
	प्रवीण	20	11.03.2025 से 09.04.2025 तक
	प्राज्ञ	15	11.04.2025 से 02.05.2025 तक

	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
सत्र द्वितीय	प्रबोध	25	19.05.2025 से 20.06.2025 तक
	प्रवीण	20	23.06.2025 से 18.07.2025 तक
	प्राज्ञ	15	21.07.2025 से 08.08.2025 तक

	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
सत्र तृतीय	प्रवीण	20	01.09.2025 से 29.09.2025 तक
	प्राज्ञ	15	30.09.2025 से 22.10.2025 तक
	पारंगत	20	23.10.2025 से 20.11.2025 तक

हिं` शिक्षण योजना / केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग, अनुलग्नक-।।

प्रशिक्षार्थी का विवरण Annexure-II

कक्षा/पाठ्यक्रम का नाम

क्र.सं.	विवरण / DETAILS	
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में)	
	NAME OF CANDIDATE (BLOCK LETTERS)	
2.	लिंग (पुरुष/स्त्री)	
	GENDER (M/F)	
3.	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	
	FATHER'S/HUSBAND'S NAME	
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में)	
	DESIGNATION OF CANDIDATE	
5.	मातृ भाषा	
	MOTHER TOUNGE	
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर: दसवीं से अधिक/आठवीं से अधिक दसवीं से कम/ पांचवी से अधिक आठवीं से कम/ पांचवी से कम/ प्रबोध/प्रवीण/प्राज	
	KNOWLGDGE OF HINDI ABOVE 10th / ABOVE 8th LESS THAN 10th /ABOVE 5th LESS THAN 8th / LESS THAN 5th/PRABODH/PRAVEEN/PRAGYA	
7.	मंत्रालय (हिंदी में)	
	NAME OF MINISTRY (IN ENGLISH)	
8.	विभाग का नाम (हिंदी में)	
	NAME OF DEPARTMENT	
9.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम	
	NAME & DESIGNATION OF THE NOMINATING OFFICER	
10.	कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ई मेल/ दूरभाष	
	FULL OFFICE ADDRESS WITH E.MAIL ID/ PHONE	
11.	कार्मिक का दूरभाष व ईमेल आई डी:	
	EMPLOYEE E.MAIL ID & MOBILE /PHONE	
12.	आधार सं०-	
	ADHHAR NO.	
13.	परीक्षा शुल्क भरने का विवरण	
	DETAILS (IF DOESN'T BELONG TO A DIREVT CENTRAL GOVT OFFICE/ DEPT.	
14.	AMOUNT: DETAILS OF PAYMENT	
	BANK DRAFT NUMBER	
	DATE	
	NAME OF BANK	
	BANK BRANCH	

नोट:- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है/ IT IS MANDATORY TO FILL THE FORM IN BILINGUAL

: कृपया अंग्रेजी का विवरण केवल(BLOCK LETTERS) में ही भरें।

अनुलग्नक -III

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै -600090.(दूरभाष 044-24918904)

2. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, सी.जी.ओ टावर,कमरा नं.403, कवाडीगुडा, सिकंदराबाद-500003 (दूरभाष 040-27537211)

3. उप निदेशक/ सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला,बैंगलूर-560034 (फैक्स 080-25537089)(दूरभाष सं. 080-25537087)

4. उप निदेशक/सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, सी विंग, छठा माला,सी.बी.डी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष-022-27572705, 27572706) फैक्स नं. 022- 27565417

5. उप निदेशक/सहायक निदेशक (भाषा) (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन,18वाँ तल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष -033-22870793 और 22890038) फैक्स नं. 033-22870793

6. सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल, सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, गहन भाषा प्रशिक्षण उप केंद्र वडोदरा- 390002

अनुलग्नक-IV

प्रशिक्षण केंद्र का पता:-

सहायक निदेशक (भाषा),
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
कमरा नं. 449-ए उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011

दूरभाष:- 011-23063321 एक्स. 2207 फैक्स 011-23062626

संपर्क सूत्र :-

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, बी ब्लॉक, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स सं. 011-24361852 ई-मेल- dirchti-dol@nic.in	सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं० 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 011-23063321 एक्स० नं० 2207 मो० 9289784254 मेल- chti1215@nic.in

रा०-19013/1/2024/केहिप्रसं/837-1536

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 16 अक्तूबर, 2024

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : **संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम।**

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं –

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक । के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। **अनिवार्य:** सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। **स्वैच्छिक:** अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु*	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा।

* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 फैक्स/Fax : 011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

<u>हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण</u>

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अनुलग्नक I के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। <u>अनिवार्य</u> : सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। <u>स्वैच्छिक</u> : 1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि - वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा।

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। **इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।**

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त **कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु तथा मुंबई** उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। **इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।**

प्रवेश का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश **'प्रथम आओ, प्रथम पाओ'** के आधार पर दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

- राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत एवं अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:–

हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नि:शुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के **निगमों/निकायों/उपक्रमों** तथा राष्ट्रीयकृत **बैंकों** आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-III पर उल्लिखित विधि के अनुसार **"उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi** को ऑनलाइन किया जा सकता है।

<u>छात्रावास</u>

नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

<u>नामांकन विधि</u>

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा **कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।**
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। **कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।**
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। **कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।**
- **इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।**

<u>विशेष</u>

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या मे प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल tsgahan-chti-dol@gov.in द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,

(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19013/1/2024-केहिप्रसं/1337-1536   दिनांक :

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
9. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त निदेशक (टं/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
11. संयुक्त निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
13. उप निदेशक (भाषा)परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नईदिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/सिकंदराबाद तथा मुंबई।
14. सहायक निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
15. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
16. उप निदेशक (टंकण आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्व/पूर्वोत्तर, कोलकाता।
17. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
18. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
19. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
20. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
21. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

(ले.कर्नल रामदरेश शर्मा)
निदेशक

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 20.01.2025 से 11.12.2025 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	20.01.2025 से 18.03.2025	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, **(जे. एंड के. हाउस के सामने),** नई दिल्ली -110 011
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	28.03.2025 से 28.05.2025	
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.06.2025 से 08.08.2025	
4.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	18.08.2025 से 14.10.2025	
5.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2025 से 11.12.2025	

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	18.08.2025 से 11.12.2025	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, **(जे. एंड के. हाउस के सामने),** नई दिल्ली -110 011

कोलकाता/सिकंदराबाद/मुंबई एवं बेंगलुरु स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	20.01.2025 से 18.03.2025
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	28.03.2025 से 28.05.2025
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.06.2025 से 08.08.2025

II-हिंदी आशुलिपि

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	18.08.2025 से 11.12.2025

विशेष टिप्पणियाँ

यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर हिन्दी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ गठित नहीं हो पाती हैं तो उसके स्थान पर हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ निम्नलिखित दो सत्रों के लिए गठित एवं संचालित की जाएंगी:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	18.08.2025 से 14.10.2025
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2025 से 11.12.2025

1. प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

दूरभाष 011-23793517
फैक्स 011-23018740, मो.नं. 7982955085
ईमेल -tsgahan-chti-dol@gov.in

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नंबर-423,तीसरा तल,01,
कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001

दूरभाष 033-22304062
मो. 7002900757
ईमेल chti1067@nic.in
ईमेल dhirajlaladhtsg@gmail.com

2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कैंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सैक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614

दूरभाष 022-20871904/27565416
फैक्स 022-27565417
मो. 9990218203
ईमेल-chti1080-chti@gov.in

3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चौथा तल, कमरा नंबर-403,
सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,
सिकंदराबाद-500 080

दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211
फैक्स 040-27538866
मो. 7907638288, 7736365909
E-mail- chti1068@nic.in
ईमेल-kumarsantoshnfc0788@gmail.com

4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
कैंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, 5वां तल,
कैंद्रीय सदन, कोरमंगला,
बैंगलुरु - 560034

दूरभाष 080-25537087
मो. 08025537089, 8310869315
ईमेल-chti1064@nic.in

अनुलग्नक-III

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टेप्स

स्टेप-1

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com ओपन करें, फिर **STATE BANK COLLECT** उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com के मुख्य शीर्षक **STATE BANK OF INDIA** पर क्लिक करें, फिर STATE BANK COLLECT नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

↓

स्टेप-2

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में **ALL INDIA** का चयन करें, इसके बाद **TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **GOVERNMENT DEPARTMENT** चुनें एवं **GO** पर क्लिक करें।

↓

स्टेप-3

GOVTERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के ड्रॉप-डाउन मेन्यू से **HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** का चयन करें।

↓

स्टेप-4

SELECT PAYMENT CATEGORY में **HINDI TEACHING SCHEME** को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

↓

स्टेप-5

फार्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को CONFIRM करके PAYMENT करें।

↓

स्टेप-6

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।